न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2018

प्रहलाद शर्मा पुत्र शिवकरण शर्मा मु.पो.चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई
-प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.03.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

बृजमोहन पुत्र धन्ना जाति ढोली(राणा) निवासी तूर्किया तहसील निवाई के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की सम्पूर्ण पत्रावली की सम्पूर्ण नकल जो आवेदन दिनांक 16.04.2004 जारी दिनांक-कमांक 196/17.04.2004

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 416 दिनांक 28.02.2018 व 475 दिनांक 12.03.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 1520 दिनांक 13.03.2018 से जवाब प्रेषित किया है। जवाब के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित ना कर जवाब के साथ संलग्न कर प्रेषित की है।

अतःनिर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई से प्राप्त सूचना प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक